राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई–मेल higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 10(11)उच्च शिक्षा / ग्रुप–3 / 2023 जयपुर, दिनांक:– 23.06.2023

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु सं. 32.01.0 अर्थात् स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों में भी छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने–जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जायेगी।" की अनुपालना में Transport Voucher Scheme लागू किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

Transport Voucher Scheme के तहत 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से महाविद्यालय आने वाली छात्राओं को रूपये 20/– प्रतिदिवस का लाभ दिया जावेगा। उक्त योजना के प्रस्तावित दिशा–निर्देशों के बिन्दु–04 में उक्तानुसार संशोधन करने एवं तदनुसार आवश्यक अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव आयुक्तालय यथासमय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152301052 दिनांक 15.06.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), मा. मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. शासन उप सचिव– II, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature valid
Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation : Deputy Secretary
Date: 2023.06.23 19:35:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4123557

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.7(4)ट्रांसपोर्ट वाउचर / बजट घोषणा / अकाद / आकाशि / 2023 / 112 दिनांक: 03 जुलाई,2023

उपरोक्त 'प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
2. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, आयोजना , कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
5. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय को ईमेल करने के हेतु।

Smahan

(डॉ0 शैला महान)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक